



बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
संतोष मैन्शन, बी०-ब्लॉक, आर०पी०एस० विधि महाविद्यालय के निकट,
रघुनाथ पथ, दानापुर, पट्टना-८०१५०३
(वेबसाइट- www.bpsc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस बल में वर्ष 2020 में आशु सहायक अवर निरीक्षक
(Steno Assistant Sub Inspector) के रिक्त पदों पर नियुक्ति
हेतु सूचना ।

ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की
तिथि-०४.०३.२०२० (बुधवार)

ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्ति की
अंतिम तिथि-३०.०३.२०२० (सोमवार)

विज्ञापन संख्या-०१/२०२०

बिहार पुलिस, गृह विभाग, बिहार सरकार में आशु सहायक अवर निरीक्षक (Steno Assistant Sub Inspector) के पद वेतनमान (लेवल-५ रु० २९२००-९२३००) की रिक्तियों की संख्या-१३३ (एक सौ तैनीस) है ।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-०१/२०२० यहाँ जारी किया जा रहा है ।

उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है ।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा- आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे । दोनों पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

- (i) प्रथम प्रश्न-पत्र 100 अंकों का सामान्य हिन्दी के 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा जिसमें व्यूनूतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा के निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा ।
- (ii) द्वितीय प्रश्न-पत्र 200 अंकों का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा जिसके लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा ।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के 6 गुण सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा जिनकी पात्रता की जाँच निम्नांकित वर्णित प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी । सफल अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी की जा सकेगी ।

उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

पात्रता की जाँच- लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुतिलेखन, हिन्दी एवं अंग्रेजी के टंकण की जाँच के लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी:

(क) हिन्दी श्रुतिलेखन- हिन्दी श्रुतिलेखन की जाँच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जायेगी । उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जायेगा । अभ्यर्थियों को टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा । श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी । श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

(ख) टंकण की जाँच- अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में व्यूनूतम 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी टंकण में पाँच प्रतिशत से अधिक और अंग्रेजी टंकण में दस प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिये अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

निर्धारित 10 मिनट के समय में व्यूनतम 300 शब्दों से कम टक्कित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

(ग) कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच- उम्मीदवार के MS-Office (Word, Excel, Power Point) तथा Internet के व्यवहारिक ज्ञान की जाँच की जायेगी । इस जाँच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

मेधा सूची- अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजन (सभी वर्ग) के लिए व्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछ़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34 प्रतिशत, पिछ़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए व्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत होगा ।

अभ्यर्थियों की व्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों का दिनांक-01.01.2020 अथवा इसके पूर्व इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक-01.01.2020 अथवा इसके पूर्व कम्प्यूटर संचालन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारक होना अनिवार्य है ।

अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2020 को):

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए व्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष ।
- (2) पिछ़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछ़ा वर्ग के पुरुषों के लिए व्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष ।

- (3) पिछङ्गा वर्ग एवं अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए ।

आरक्षण:- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य सम्बन्धित अर्हताएँ लागू होंगी ।

चिकित्सीय परीक्षण:- नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा ।

अधिसूचना संख्या 4/b 1-10-05/2011-1970 दिनांक-08.03.2018 की टिप्पणी-3 में प्रावधान किया गया है कि “सामान्य अभ्यर्थियों पर चिकित्सीय परीक्षण के सम्बन्ध में ऊपर उल्लिखित लागू प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे ।”

रिक्ति:-

आशु सहायक अवर निरीक्षक हेतु अधिसूचित 133 पदों में बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । कोटिवार रिक्ति निम्नांकित है:

श्रेणी / कोटि	पदों की कुल संख्या	महिलाओं के लिए आरक्षित पद (35%)
अनुसूचित जाति	30	09
अनुसूचित जनजाति	02	-
अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग	20	07
पिछङ्गा वर्ग	09	03
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	13	04
पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (3%)	04	-
अनारक्षित (सामान्य)	55	18
कुल योग	133	41

क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था :

1. बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

2. बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है अर्थात् उनके लिए कुल 03 (तीन) पद आरक्षित हैं ।

3. दिव्यांगजन के लिए क्षैतिज आरक्षण- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में 4 प्रतिशत की दर से कुल-05 पद दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत् अनुमान्य होते हैं:

- (क) दृष्टि दिव्यांगता- 02 पद
- (ख) मूँक बधिर दिव्यांगता- 01 पद
- (ग) चलन दिव्यांगता- 01 पद
- (घ) मनोविकार दिव्यांगता- 02 पद

नोट:- यदि रोस्टर बिन्दु 676 से 691 के बीच मनोविकार दिव्यांगता के अभ्यर्थी चयनित हैं तो रोस्टर बिन्दु 692 से 700 तक 01 पद मनोविकार दिव्यांगता के अभ्यर्थी के लिए अनुमान्य नहीं होगा ।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान:

(1) आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

“असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।”

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2020 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

(2) आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक-16.07.2007 द्वारा बिहार राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 (तीन) वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है ।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2020 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

(3) आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में सभी वर्गों के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र :- आशु सहायक अवर निरीक्षक के उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक- 04.03.2020 (बुधवार) से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति में आवेदन-पत्र को मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछ़ा वर्ग, पिछ़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 700/- (सात सौ) रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों के “पुरुष एवं महिला दिव्यांगजन अभ्यर्थियों” के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 400/- (चार सौ) रुपये निर्धारित किया गया है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाईट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर दिये गए आवेदन-पत्र संबंधी लिंक (link) पर क्लिक करेंगे जिसके पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल लिया जाता है ।

पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश

- A. **Direct Recruitment**-वैसे अभ्यर्थी जो सीधी भर्ती के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं,उन्हें पंजीकरण के लिए “Direct Recruitment” tab का चयन करना होगा ।
- B. **Ex-serviceman**- वैसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हैं और उम्र सीमा छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए “Ex-serviceman” tab का चयन करना होगा ।

C. Employees of Bihar Government- वैसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए “Employees of Bihar Government” tab का चयन करना होगा।

पंजीकरण करने और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट: एक वैध संक्रिय मोबाइल फोन क्रमांक और ई-मेल ID रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक, BPSSC अभ्यर्थी से उसी मोबाइल क्रमांक/ई-मेल पते से संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया है। BPSSC गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल क्रमांक या ई-मेल पता इनपुट (s) के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1: पंजीकरण प्रपत्र

(नोट: कृपया आवेदन-पत्र खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें)

(1) आवेदक का नाम:

- A. Direct Recruitment-आवेदक का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है।
- B. Ex-serviceman- आवेदक का नाम PPO/Defence services documents के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है।
- C. Employees of Bihar Government- आवेदक का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र/सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है।

(2) राष्ट्रीयता: आवेदक अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय रूप में भरेगा, क्योंकि इस पद पर आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

(3) मोबाइल क्रमांक: वैध और संक्रिय मोबाइल क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि यह BPSSC से भावी संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाइल क्रमांक दर्ज करते हैं तो आप भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे और यदि BPSSC से सूचनाओं के दौरान किसी भी समय आपका मोबाइल क्रमांक काम नहीं कर रहा है तो BPSSC न तो उत्तरदायी होगा और न ही जिम्मेदार होगा। कोई भी आवेदक सिर्फ एक आवेदन-पत्र भर सकता है। एक मोबाइल क्रमांक से मात्र एक आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। अगर BPSSC को लगता है कि आपने विभिन्न मोबाइल क्रमांकों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद मोबाइल क्रमांक में बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (4) **ई-मेल ID:** पंजीकरण के लिए एक व्यक्तिगत ई-मेल ID अनिवार्य है। आप पत्राचार/संवाद के लिए इस ई-मेल पते का प्रयोग करेंगे क्योंकि BPSSC “एडमिट कार्ड डाउनलोड”, “चेक यूअर रिजल्ट” आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण संवाद भेजेगी। आप एक ई-मेल पते के साथ केवल एक आवेदन कर सकते हैं। यदि BPSSC को पता चलता है कि आपने अलग-अलग ईमेल पतों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद ई-मेल पते में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) **बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल):** यदि आप बिहार के निवासी हैं तो “हाँ” चुनें, अन्यथा “नहीं” चुनें। दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक को “अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट” दिखाना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के बाद अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट का बदलना स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (6) **वर्गः:** आवेदक को अपने वर्ग का चयन करना चाहिए जिससे वह संबंधित है, जैसे, सामान्य, EWS, EBC, BC, SC, ST। और EWS, EBC, BC, SC, ST से संबंधित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य वर्ग के रूप में चयन करना चाहिए।** पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद वर्ग में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (7) **लिंगः:** जो लागू हो (पुरुष या महिला)।
- (8) **दिव्यांगजनः:** यदि आप दिव्यांग हैं, तो “Yes” चुनें अन्यथा “No” चुनें। यदि आप “Yes” का चयन कर रहे हैं तो आपको दिए गए विकल्पों में से उचित दिव्यांगता का चयन करना होगा।
- (9) **जन्म तिथिः**
- A. **Direct Recruitment**- जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक की आयु (1 जनवरी 2020) को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए।
- | | Male | | Female | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| General/EWS | 18 | 25 | 18 | 25 |
| BC/EBC | 18 | 27 | 18 | 28 |
| SC/ST | 18 | 30 | 18 | 30 |
- (नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)
- B. **Ex-serviceman-** जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट/Defence services documents के अनुसार

होनी चाहिए। आवेदक की आयु (1 जनवरी 2020) को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए।

	Male	Female
	Maximum qualifying age	Maximum qualifying age
General/EWS	25 Years+Years of Service Rendered+3 Years	25 Years+Years of Service Rendered+3 Years
BC/EBC	27 Years+Years of Service Rendered+3 Years	28 Years+Years of Service Rendered+3 Years
SC/ST	30 Years+Years of Service Rendered+3 Years	30 Years+Years of Service Rendered+3 Years

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

i. आवेदक PPO संख्या: आवेदक को अपना पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर देना होगा।

ii. सेवा आरंभ तिथि: आवेदक को सेवा आरंभ करने की तिथि प्रदान करनी होगी।

iii. सर्विस डिस्चार्ज तिथि: आवेदक को सर्विस से डिस्चार्ज होने की तिथि भी देनी होगी।

C. **Employees of Bihar Government-** जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट/सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक की आयु (1 जनवरी 2020) को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए।

	Male	Female
	Maximum qualifying age	Maximum qualifying age
General/EWS	25 Years+5 Years	25 Years+5 Years
BC/EBC	27 Years+5 Years	28 Years+5 Years
SC/ST	30 Years+5 Years	30 Years+5 Years

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

D. **दिक्षांगजन-** जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट/सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक

दस्तावेज के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक की आयु (1 जनवरी 2020) को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए।

	Male		Female	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
General/EWS	18	35	18	35
BC/EBC	18	37	18	38
SC/ST	18	40	18	40

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

- (10) हिन्दी टंकण में कुशलता: इस आवेदन-पत्र को भरने के लिए हिन्दी टंकण में कुशल होना अनिवार्य है।
- (11) अंग्रेजी टंकण में कुशलता: इस आवेदन-पत्र को भरने के लिए अंग्रेजी टंकण में कुशल होना अनिवार्य है।
- (12) हिन्दी आशुलिपि में कुशलता: इस आवेदन-पत्र को भरने के लिए हिन्दी आशुलिपि में कुशल होना अनिवार्य है।

नोट: प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद, पूर्ण विवरण दिखाया जाएगा। भुगतान करने से पहले, आवेदक “Edit Details” बटन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार भुगतान करने के बाद, आवेदक विवरण को एडिट नहीं कर सकते।

2: भुगतान करें:

- (1) पंजीकरण पूरा करने के बाद, आपको नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान राशि में अपेक्षित आवेदन शुल्क और बैंक के देय लेनदेन शुल्क लागू होंगे जो भुगतान पृष्ठ पर दिखाए जाएंगे।

आवेदन शुल्क निम्न है।

	पुलष	महिला
सामान्य	700	700
BC/EBC	700	700
SC/ST	400	400
सभी वर्गों के दिव्यांगजन	400	400

- (2) सफल भुगतान के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर पंजीकरण ID के साथ एक सफल पंजीकरण संदेश प्राप्त होगा। यह पंजीकरण ID आपकी आवेदन ID भी होगी, जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भों के लिए करेंगे।

- (3) आवेदक को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल पंजीकरण संख्या के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए।
- (4) किसी भी मामले में, सफल पंजीकरण के बाद आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।
- (5) Submit करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भुगतान करने से पहले आवेदक को सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए।
- (6) अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिल पाता है, तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद लौटा दी जाएगी। BPSSC किसी भी प्रकार के मुद्दों या देय तिथि से पहले फॉर्म भरने में आवेदक की वजह से होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले ही आवेदन सुनिश्चित कर लें ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

3: पंजीकरण रद्दीकरण

- (1) यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण और भुगतान किया है, तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए, हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक पंजीकरण को रद्द कर सकता है और वह फिर से पंजीकरण कर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।
- (2) पंजीकरण रद्द करने के लिए दिशानिर्देश:
 - (i) पंजीकरण रद्द करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं (<https://apply-bpssc.com>) और 'View Application Status' बटन पर क्लिक करें।
 - (ii) अपना आवेदन/पंजीकरण आई-डी या मोबाइल क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें।
 - (iii) 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और 'Cancel Registration' बटन दिखाई देंगे। आपको 'Cancel Registration' बटन पर क्लिक करना होगा।
 - (iv) क्लिक करने के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
 - (v) आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और 'Cancel' बटन पर क्लिक करना होगा, फिर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

- (vi) रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमें पंजीकरण रद्दीकरण का उल्लेख होगा।
- (3) पंजीकरण रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल क्रमांक मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल क्रमांक के प्रयोग से फिर से पंजीकरण कर सके।

- नोट :-**
- (1) 01 जनवरी 2020 तक या इसके पूर्व, आपको इंटरमीडिएट /10+2 परीक्षा या एक समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य है।
 - (2) 01 जनवरी 2020 तक या इसके पूर्व, आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०) का डिप्लोमा प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2020 को भी भलीभांति पढ़ लिया है। मैं पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी BPSSC मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए निर्देश:

निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
 - A. Direct Recruitment- 10th/SSC/ मैट्रिक्यूलेशन, इंटरमीडिएट /10+2, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०), ग्रेजुएशन(वैकल्पिक), पोस्ट-ग्रेजुएशन (वैकल्पिक)।
 - B. Ex-serviceman- Defence Services द्वारा प्रदान किया गया समकक्ष शिक्षा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०)।
 - C. Employees of Bihar Government- 10th/SSC/ मैट्रिक्यूलेशन, इंटरमीडिएट /10+2, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०), ग्रेजुएशन(वैकल्पिक), पोस्ट-ग्रेजुएशन (वैकल्पिक)।
2. पते का विवरण:
 - A. Direct Recruitment- पते का विवरण(आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार)। (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)

- B. Ex-serviceman- पते का विवरण (आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र/Defence Services documents के अनुसार)। (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)
- C. Employees of Bihar Government- पते का विवरण(आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार)। (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)
3. आपका jpg या png प्रारूप में अपने हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो की एक स्कैन की गई प्रति चाहिए।
- फोटो अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:
- (a) पासपोर्ट साइज (3.5 cm x4.5 cm) का दो माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन फोटो अपलोड करें।
 - (b) फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।
 - (c) फोटो की साइज 25 केबी से कम होनी चाहिए।
 - (d) फोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
 - (e) फोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला/रंगीन चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए।
 - (f) सुनिश्चित करें कि आपने अपना फोटो अपलोड किया है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेन ड्राइव या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रखें। दोनों हस्ताक्षर काले स्थाही में सफेद कागज पर होंगे और साइज में प्रत्येक 25 केबी से कम होंगे। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड करते हैं, अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन-पत्र में भरने के विवरण (आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि: DD/MM/YYYY)

(1) व्यक्तिगत विवरण:

- (a) पिता का नाम 10th/SSC/ मैट्रिक्यूलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार होना चाहिए। विवाहित महिलाओं को उपरोक्तानुसार अपने पिता के नाम के साथ-साथ दिए गए जगह में अपने पति का नाम भी लिखना होगा।
- (b) वैवाहिक स्थिति।

- (c) पहचान पत्र का प्रकार (सूची में दी गई), ID कार्ड नंबर आपके द्वारा चुने गए ID कार्ड प्रकार से मेल खाना चाहिए।
- (d) एक पहचान चिन्ह अनिवार्य है (उदाहरण: जैसे कि बाएं हाथ पर तिल)।
- (e) यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड हैं तो “Yes” का चयन करें अन्यथा “No” चुनें। यदि आप “Yes” का चयन कर रहे हैं तो आपको दिए गए विवरण भी भरने होंगे।
- (2) शैक्षणिक योग्यता:
- (a) सभी विवरण आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए।
- (b) 01 जनवरी 2020 तक या इसके पूर्व, आपको इंटरमीडिएट /10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य है।
- (c) 01 जनवरी 2020 तक या इसके पूर्व, आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.०१०) का डिप्लोमा प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- (d) मैट्रिक्यूलशन और इंटरमीडिएट/10+2 शैक्षणिक विवरण, डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.०१०) विवरण अनिवार्य है। यदि आप स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, तो संबंधित कॉलम में संबंधित विवरण भरें।
- (3) पते का विवरण:
- (a) अपना स्थायी पता और पत्राचार पता भरें। महिला आवेदिका यदि विवाहित हैं तो उनका स्थायी पता वही होगा जो उनके पति का स्थायी पता है।
- (b) पत्राचार पते का उपयोग पत्राचार के लिए किया जाएगा और BPSSC नियुक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्राचार इसी पते पे भेजेगा।
- (4) आपराधिक मामलों की घोषणा:
- (a) जो भी लागू हो, आवेदक को “हाँ” या “नहीं” के बीच चुनना होगा।
- (b) यदि आपने “हाँ” का चयन किया है, तो उस से संबंधित विवरणों का उत्तर तदनुसार देना होगा।
- (5) फोटो और हस्ताक्षर अपलोड:
- (a) अपना रंगीन पासपोर्ट साइज (3.5cm x 4.5 cm) फोटो अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)
- (b) हिंदी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)।

- (c) अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साझा 25 केबी से कम)।

नोट: प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद, विवरण का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अंतिम रूप में “आवेदन-पत्र” सबमिट करने से पहले, आवेदक “Edit details” बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि और सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर एक पुष्टिकरण सन्देश प्राप्त होगा। सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को अंतिम रूप में लिया जायेगा, और BPSSC आवेदन-पत्र में किसी और बदलाव की अनुमति नहीं देगा। इसमें कोई एडिट सुविधा नहीं है, इसलिए आवेदक विवरण भरते समय सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि सारे विवरण संबंधित प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के ही अनुरूप हों। BPSSC उम्मीदवार द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए या फिर अंतिम क्षणों में फॉर्म भरने में की गयी किसी भी गलती के लिए ना तो उत्तरदायी है और ना ही जिम्मेदार है।

(6) आवेदन-पत्र रद्दीकरण:

- (a) यदि आपने गलत विवरण के साथ आवेदन सबमिट किया है, तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए, हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक आवेदन-पत्र को रद्द कर सकता है और वह आवेदन-पत्र को फिर से भर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।
- (b) आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए दिशानिर्देश:
- आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं (<https://apply-bpssc.com>) और ‘View Application Status’ बटन पर क्लिक करें।
 - अपना आवेदन/पंजीकरण आई-डी या मोबाइल क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें और ‘Submit’ बटन पे क्लिक करें।
 - ‘Submit’ बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और ‘Cancel Application form’ बटन दिखाई देंगे। आपको ‘Cancel Application form’ बटन पर क्लिक करना होगा।
 - क्लिक करने के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
 - आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और ‘Cancel’ बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
 - रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमें आवेदन-पत्र रद्दीकरण का उल्लेख होगा।

- (c) आवेदन-पत्र रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल क्रमांक मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल क्रमांक के प्रयोग से एक नया आवेदन-पत्र भर सके।

घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2020 को भी भलीभांति पढ़ लिया है। मैं ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी BPSSC मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सम्मान करना होगा।

उल्लेखनीय है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक-01.01.2020 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

अभ्यर्थी दसर्वीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन-पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अभ्यर्थियों की आरक्षित श्रेणियाँ/वर्ग हैं- (1) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), (3) पिछड़ा वर्ग (BC), (4) अनुसूचित जाति (SC) एवं (5) अनुसूचित जनजाति (ST)। आवेदन-पत्र में आवेदकों को अपनी श्रेणी का ही उल्लेख करना है। यदि आवेदक अपनी श्रेणी के स्थान पर किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि-30.03.2020 (सोमवार) निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन-पत्रों के जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर लिखित परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश-पत्र उनके ई-मेल पर निर्गत किया जायेगा। लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विधिवत सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय दी जायेगी।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना।